भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

लिखित प्रश्न सं. 296

गुरूवार, 3 फरवरी, 2022/14 माघ, 1943 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान की स्थापना

296. श्री वेंकटारमन राव मोपीदेवीः

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश के राज्यों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान के लिए आवश्यक शर्तों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार दक्षिण भारत में जल पर्यटन और साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्थान, आंध्र प्रदेश के अंतर्गत एक केन्द्र के रूप में आंध्र प्रदेश (विशाखापत्तनम) में राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान की स्थापना करेगी; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (ग) : राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान (एनआईडब्ल्यूएस) गोवा, भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान (आईआईटीटीएम) के तहत कार्यरत एक केन्द्र है जो जल क्रीड़ा और उससे संबंधित गतिविधियों में प्रशिक्षण और प्रमाणन के लिए पर्यटन मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय स्वायत्त निकाय है । एनआईडब्ल्यूएस गोवा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जल संबंधी क्रीड़ा गतिविधियों के प्रशिक्षण के लिए अधिदिष्ट है । एक केंद्रीय स्वायत्त निकाय के केंद्र को खोलने के लिए जीएफआर 2017 के तहत यथा निर्धारित कारकों सहित कारक हैं। पर्यटन विकास की संभावना, संसाधन उपलब्धता, व्यवहार्यता, मांग और ऐसे अन्य कारकों एवं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विभिन्न साइटों के बीच तुलनात्मक लाभ जैसे कारकों के आधार पर विशाखापत्तनम सहित स्वायत्त निकायों की शाखाओं का निर्णय लिया जाता है ।

*****